

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

मनोहर लाल बुनकर एडवोकेट निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं
9-आर-49 पटेलनगर भीलवाडा तहसीलदार भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 11.03.2019


अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 08.02.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 933494 राशि 10.00 रु0 के साथ एक आवेदन दिनांक 28.12.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक/204 दिनांक 08.03.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 28.12.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रत्यर्थी के पत्रांक/191 दिनांक 07.03.2019 से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।




(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाडा